बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं./34/2020–174

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा0व0से0
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा।

पटना 14, दिनांक– 17/02/2020

विषय – जियों डिजिटल फाईबर प्रा० लि० द्वारा फुलपरास–पिपरोन पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत् 0.32058 हे० वन भूमि आपयोजन का प्रस्ताव।

महाशय,

विषयाधीन प्रस्ताव जियों डिजिटल फाईबर प्रा० लि० द्वारा फुलपरास–पिपरोन पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने का है। प्रस्ताव में कुल 0.32058 हे० वन भूमि का अपयोजन होना है। प्रस्ताव मूल रूप में संलग्न प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी स्थलीय जाँच कर भाग–II में अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्ताव, वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को समर्पित किया जाय। वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर प्रस्ताव के भाग–III में अपनी अनुशंसा अंकित कर इसे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को समर्पित करेंगे। जाँच में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाय–

(i) परियोजना स्थल की वैधानिक स्थिति, अगर सुरक्षित/रक्षित वन/वन्य प्राणी आश्रयणी घोषित है तो अधिसूचना की पठनीय प्रति संलग्न की जाय।

(ii) प्रस्तावित पथ तट के RHS एवं LHS में अवस्थित वृक्षों को Translocate करने संबंधित सयुक्त गणना कर वृक्षों की संख्या अंकित करते हुए स्थलीय सत्यापन एवं तत्सम्बन्धी अभियुक्ति अंकित किया जाये।

(iii) संलग्न नक्शा का भौतिक सत्यापन किया जाये एवं हस्ताक्षर अंकित किया जाय।

(iv) परियोजना निर्माण के लिये अपयोजित होने वाली वन भूमि के क्षेत्रफल की गणना कर इसे प्रपत्र के भाग–II में अंकित एवं अपयोजित होने वाली वन भूमि का स्केच मानचित्र प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।

(v) स्थल निरीक्षण टिप्पणी अलग से संलग्न किया जाय।

(vi) 1.00 हे० से कम वन भूमि का अपयोजन होने पर पातित होने पातित होने वाले वृक्षों का 10 गुना या 1.00 हे० से अधिक वन भूमि के अपयोजन मामलों में दो गुना अवकृष्ट वनों में क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन समर्पित की जाय।

(vii) परियोजना क्षेत्र में वन्यप्राणी से संबंधित अभियुक्ति (यदि ऐसा है) तो अलग से अंकित किया जाय।

(viii) परियोजना क्षेत्र निर्माण स्थल से वन्यप्राणी अश्रयणी की दूरी अंकित की जाय।

(xi) अपयोजित होने वाली वन भूमि का FRA, 2006 का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

(x) परियोजना में अपयोजित होने वाली वन भूमि का DGPS Reading भी संलग्न किया जाय।

जाँचोपरांत प्रस्ताव वापस भेजने हेतु एतद्संबंधी नियमों/निर्देशों में निर्धारित समय सीमा का कृपया ध्यान रखा जाय।

अनु0--यथोक्त।

प्रस्ताव मूलरूप में (सात प्रतियाँ)

विश्वासभाजन,

17.2.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
--सह--नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।